8– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना (नई योजना) के कियान्वयन हेतु निर्गत दिशा निर्देश (गाइड लाइन) के शासनादेश संख्या–81/2016/2689/33–3–2016–100(33)/2015, दिनांक 20–10–2016 के अनुसार किया जायेगा।

9–उक्त आवंटित धनराशि जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा।

10– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

11– आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

12–उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

13–धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–160 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1/शा0/166/1/2017 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
3– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– उप निदेशक(पं0)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
7– एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–2515001010018

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/166/2017–1/565/2016 लखनऊः दिनांक 16 मार्च, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना (नई योजना) हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–10/2017/231/33–3–2017–100(33)/2015 दिनांक 09 मार्च, 2017 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना (नई योजना) हेतु प्राविधानित धनराशि रू0–66165 हजार के सापेक्ष रू0–66165 हजार (रूपये छः करोड़ इसकसठ लाख पैसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि **रू0–66165 हजार (रूपये छः करोड़ इकसठ लाख पैसठ हजार मात्र)** संलग्न आवंटन की मदों में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1–आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2016/बी–1–746/दस–2016–231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं पंचायती राज अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–81/2016/2689/33–3—2016–100(33)/2015, दिनांक 20–10–2016 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3–इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

4–उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या– 14 के लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–18–डा0राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के नामे डाला जायेगा।

5– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय करने में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः आवंटित धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–सीए 934/दस–2008–मि–1/2007, दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

6– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

7– उक्त आवंटित धनराशि को आहरित कर किसी बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 मे जमा नही किया जायेगा।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-16/03/2017

प्रेषण संख्या:- 1-sha-166-2017-1-565-2016

आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-565-2016

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

18 - डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जमपद का नाम		08-कार्यालय व्यय	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	42-अन्य व्यय	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	6015000 6015000	11800000 11800000	41000000 41000000	3750000 3750000	3600000 3600000	66165000 66165000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6015000 6015000	11800000 11800000	41000000 41000000	3750000 3750000	3600000 3600000	66165000 66165000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः करोड़ इकसठ लाख पैंसठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ इकसठ लाख पैंसठ हजार

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी